

28-02-2020

पत्रांक-2ब०/जला०-01-13/2017

224

/न०वि०एवंआ०वि०

* स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक एवं ई-मेल

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-28/02/2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्व से संचालित एवं वर्तमान में समाप्त JnNURM योजनान्तर्गत पटना जलापूर्ति योजना के 05 जलमीनारों तथा उनसे संबंधित क्षेत्रों शेखपुरा, एस0के0 नगर, एस0के0 पुरी, अंटा घाट एवं अदालतगंज में नेटवर्क एवं अन्य कार्यों से संबंधित अवशेष कार्यों को राज्य योजना से पूर्ण कराने के साथ कुल 33,120 घरों में House Connection हेतु विभागीय राज्यादेश सं०- 75, दिनांक- 23.10.2018 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटनादेश सं०- 25, दिनांक- 23.10.2019 द्वारा आवंटित राशि ₹1970.81855 लाख (उनीस करोड़ सत्तर लाख एकासी हजार आठ सौ पचपन रु०) मात्र की नगर निगम, पटना द्वारा निकासी नहीं किये जाने की स्थिति में वित्तीय वर्ष, 2019-20 में उक्त राशि के सहायक अनुदान के रूप में पुनः स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्व से संचालित एवं वर्तमान में समाप्त JnNURM योजनान्तर्गत पटना जलापूर्ति योजना के 05 जलमीनारों तथा उनसे संबंधित क्षेत्रों शेखपुरा, एस0के0 नगर, एस0के0 पुरी, अंटा घाट एवं अदालतगंज में नेटवर्क एवं अन्य कार्यों से संबंधित अवशेष कार्यों को राज्य योजना से पूर्ण कराने के साथ कुल 33,120 घरों में House Connection हेतु Centage सहित ₹4970.81855 लाख (उनचास करोड़ सत्तर लाख एकासी हजार आठ सौ पचपन रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹1970.81855 लाख (उनीस करोड़ सत्तर लाख एकासी हजार आठ सौ पचपन रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०- 75, दिनांक- 23.10.2018 द्वारा स्वीकृत करते हुए आवंटनादेश सं०- 25, दिनांक- 23.10.2018 द्वारा आवंटित किया गया था।

2. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के पत्रांक- 15416, दिनांक- 26.11.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवंटित राशि की निकासी नगर निगम, पटना द्वारा नहीं हो सकी है। इस संबंध में कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय, पटना के पत्रांक- 156, दिनांक- 14.09.2019 द्वारा निर्गत अनिकासी प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए उक्त राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त वर्णित स्थिति के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 03 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 04 के अनुरूप प्रदत्त कुल राशि ₹4970.81855 लाख (उनचास करोड़ सत्तर लाख एकासी हजार आठ सौ पचपन रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 06 के अनुरूप वित्तीय वर्ष, 2018-19 में स्वीकृत ₹1970.81855 लाख (उनीस करोड़ सत्तर लाख एकासी हजार आठ सौ पचपन रु०) मात्र की निकासी नहीं होने के कारण पुनः वित्तीय वर्ष, 2019-20 में स्तम्भ- 07 के अनुरूप कुल राशि ₹1970.81855 लाख (उनीस करोड़ सत्तर लाख एकासी हजार आठ सौ पचपन रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)						
क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अनिकासी की राशि	वित्तीय वर्ष, 2019-20 में स्वीकृत कुल अनिकासी की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर निगम, पटना	पटना जलापूर्ति योजना	4970.81855	1970.81855	1970.81855	1970.81855

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹1970.81855 लाख (उनीस करोड़ सत्तर लाख एकासी हजार आठ सौ पचपन रु०) मात्र।

4. उक्त स्वीकृत ₹1970.81855 लाख (उनीस करोड़ सत्तर लाख एकासी हजार आठ सौ पचपन रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक-31.07.2019 एवं पत्रांक- 687, दिनांक- 19.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर निगम, पटना के PL खाता में राशि का हस्तांतरण CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online किया जाएगा। तत्पश्चात् नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा कार्यकारी एजेंसी, बुडको को राशि हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

5. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 61, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का

उपायोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. आवंटित राशि ₹1970.81855 लाख (उनीस करोड़ सत्तर लाख एकासी हजार आठ सौ पचपन रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष -01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -उप शीर्ष 0101- पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215017890101 विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से की जाएगी।

9. स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :-

(i) योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जाएगा।

(ii) कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(iv) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला०-01-13/2017 के पृष्ठ सं०- 49/टि० पर दिनांक- 24.2.2020 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 52...../टि० पर दिनांक- 26.02.2020 को प्राप्त है।

6

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. जिला पदाधिकारी, पटना एवं नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जायेगा।
14. इसकी सूचना प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27-02-2020

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/जला०-01-13/2017

224

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-*28/02/2020*

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/वभागीय आई०टी० प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम०आई०एस० को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-02-2020

सरकार के विशेष सचिव।

अ.प्र.सचिव

YOK